

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT,
GOVT. OF NCT OF DELHI

LEVEL 6TH, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW Delhi- 110002

PUBLIC NOTICE

13.8.19
Ban on sharp synthetic/ nylon kite flying thread including popularly known "Chinese Manjha"

This is for the information of the general public that in order to prevent the adverse effects on human beings, cattle population, birds, soil and ecology and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. SO 667 (E), dated 10th September, 1992,, a **Notification was issued on 10.01.2017 by order and in the name of the Hon'ble Lt. Governor of the NCT of Delhi with the following directions:-**

1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply, import, and use of kite flying thread made out of nylon, plastic or any other synthetic material including popularly known as "Chinese manja" and any other kite-flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or any other sharp materials in the National Capital Territory of Delhi.
2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread, free from any sharp/ metallic/ glass components / adhesives/ thread strengthening materials.

Any breach of the above directions may be reported to the office of the following:

S.No.	Designation	Email ID	Helpline Number
1.	The Commissioner of Police, Delhi Police	cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in	100
2.	The Divisional Commissioner, GNCTD	divcom@nic.in	1077
3.	The Chief Wildlife Warden, GNCTD	wildlifesos227@gmail.com	9871963535
4.	The Commissioner, North Delhi Municipal Corporation	commissioner-ndmc@mcd.gov.in	155304
5.	The Commissioner, South Delhi Municipal Corporation	Commissioner.Sdmc@mcd.gov.in	23225901, 23225902
6.	The Commissioner, East Delhi Municipal Corporation	commissioneredmc@gmail.com	155303

Note: The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, or the rules made thereunder shall be punishable under section 15 of the said Act which include imprisonment upto five years and / or with fine which may be extended to Rs. One Lac or with both.

The above said NOTIFICATION is available at : www.environment.delhigovt.nic.in

Sd/-
ARUN MISHRA
Special Secretary

DIP/Shabdarth 0500/19-20

पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
तल-6, विंग-सी, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली - 110002

सार्वजनिक सूचना

पतंग उड़ाने वाले तेज धारदार सिंथेटिक/नायलोन धागे जिनमें लोकप्रियता से जाना जाने वाला चीनी मांझा भी शामिल है - पर प्रतिबंध

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मानवता, पशुधन, पक्षी और पारिस्थितिकी पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर 1992 की अधिसूचना सं. एसओ 667 (ई) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से 10.01.2017 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत निम्न निर्देश दिए गये हैं:-

- 1) नायलोन, प्लास्टिक अथवा अन्य किसी सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित पतंग उड़ाने वाला धागा जिसमें कि चीनी मांझा के नाम से प्रसिद्ध तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार है या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से लेपित कर पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, आयात एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
- 2) केवल सूती धागे, जो कि किसी धारदार धातु/शीशे के घटकों/चिपकाने वाले पदार्थों/धागे को मजबूत बनाने वाली सामग्रियों से रहित हैं, उन्हीं से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।

उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के बारे में निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालयों में रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

क्र.सं.	पद	ई-मेल पता	हेल्पलाइन नं.
1.	पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस	cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in	100
2.	मंडलीय आयुक्त, दिल्ली सरकार	divcom@nic.in	1077
3.	मुख्य वन्यजीव संरक्षक, दिल्ली सरकार	wildlifesos227@gmail.com	9871963535
4.	आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम	commissioner-ndmc@mcd.gov.in	155304
5.	आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम	commissioner-sdmc@mcd.gov.in	23225901, 23225902
6.	आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम	commissioneredmc@gmail.com	155303

नोट:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत जारी निर्देशों का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है जिसमें पांच साल तक कारावास तथा/अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उपरोक्त अधिसूचना पर्यावरण विभाग की वेबसाइट www.environment.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

ह0/- (अरुण मिश्रा)

विशेष सचिव (पर्यावरण)

DIP/Shabdarth/0500/19-20